

कार्यालय उद्यान विज्ञान विभाग

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर-208002

पत्रांक:

/30वि0वि0/2021

दिनांक: अप्रैल 07, 2021

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर में दिनांक: 16.04.2021 को अपराह्न 3.00 बजे इस विभाग के उद्यान में लगे निम्न फल पीछे एवं पीछशाला कल्यानपुर में लगे कटहल के फल पीछे (वर्तमान फलत) की नीलामी सार्वजनिक रूप में उद्यान विज्ञान विभाग के उद्यान में सम्पन्न होगी।

आम, लीची, कटहल, बड़हल एवं नींबू (वर्तमान फलत)

नीलामी की शर्तें

1. बोली बोलने वाले ठेकेदार को बोली बोलने से पहले ₹0 5000.00 (पांच हजार रुपया) जमानत के रूप में जमा करना होगा। सबसे उच्चतम बोली वाले कमरा दो ठेकेदारों को छोड़कर बाकी का रूपया वापस कर दिया जायेगा।
2. बोली समाप्त होने पर लगाये गये मूल्य की सम्पूर्ण धनराशि तुरन्त जमा करना होगा। यदि प्रथम उच्च बोली वाले ठेकेदार ने उक्त धनराशि जमा नहीं की तो द्वितीय उच्च बोली वाले ठेकेदार को आमंत्रण दिया जायेगा तथा प्रथम की जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
3. ठेकेदार नीलामी में खरीदे गये फसल में अथवा अन्य फलों के पेड़ों से डाली एवं टहनियों को नुकसान नहीं पहुंचायेगा। ऐसा कोई व्यवहार नहीं करेगा जिससे अनुशासन भंग हो। यदि ठेकेदार ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी तथा नुकसान का पूर्ण मुआवजा ठेकेदार को देना होगा।
4. ठेकेदार द्वारा फलों की रखवाली हेतु केवल उनके चौकीदार ही बगीचे में आ सकेंगे। ठेकेदार के अन्य लोग गार्डन ओवरसिपर की अनुमति पर ही गार्डन में जा सकेंगे।
5. ठेकेदार कोई भी वाहन बिना विभागाध्यक्ष की अनुमति के अन्दर बगीचे में नहीं ले जा सकेंगे।
6. जिसके नाम उचित बोली छुटेगी वही फसल का अन्त तक उत्तरदायी होगा। दूसरे किसी को यह अधिकार हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
7. फसल की सिंचाई आवश्यकतानुसार ही की जायेगी किन्तु बिजली कट जाने की स्थिति में अथवा टयूबवेल खराब हो जाने पर पानी की कोई जिम्मेदारी विभाग की नहीं होगी।
8. दैवी प्रकाश या पशु पक्षियों या अन्य किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिये विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।
9. ठेकेदार का अधिकार केवल इसी एक फसल तक का होगा।
10. कोई भी ठेकेदार अपने साथ मुर्गा, मुर्गी, बकरा, भैंस या अन्य कोई जानवर नहीं लायेगा।
11. नीलामी की स्वीकृति/अस्वीकृति करने का पूर्ण अधिकार विभागाध्यक्ष का होगा तथा नीलाम की गई फसल की रखवाली की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

(वी०के०त्रिपाठी)

प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष

पत्रांक 21

/30वि0वि0/2021

तद दिनांक।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी, कानपुर नगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर नगर।
3. जिला उद्यान अधिकारी, कानपुर नगर।
4. सम्बन्धित ठेकेदारों को सूचनाथ प्रेषित।
5. अर्थ निबंधक, च०शे०आ०कृषि एवं प्रौ०वि०वि०, कानपुर।
6. प्रभारी, ए०के०एम०यू० को इस आशय से कि उक्त सूचना को वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7. सूचना पट।
8. कुलपति के तकनीकी सचिव को माननीय कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।

(वी०के०त्रिपाठी)

प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष